पॉलिसी: वेतन के आधार पर अग्रिम राशि लेना

पॉलिसी संख्या – 14

जारी करने की तारीख - 12/10/2020

आख़िरी संशोधन की तारीख – 06/09/2021

किस पर लागू है – कंपनी के सभी कर्मचारियों पर

पॉलिसी में पेज़ों की कुल संख्या – 1

सभी कर्मचारियों को वेतन पर एडवांस नीचे दिए गये दिशानिर्देशों के आधार पर ही दिया जाएगा।:

1- कोई भी कर्मचारी कंपनी के साथ 6 महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही एडवांस के लिए अनुरोध कर सकता है।

2- एक वर्ष में अधिकतम एक बार ही एडवांस लिया जा सकता है।

3- एक महीने के वेतन के 50% तक ही एडवांस अनुरोध किया जा सकता है, उससे अधिक का अनुरोध संबंधित विभाग प्रमुख और अकाउंट्स प्रमुख की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

4- एडवांस केवल वास्तविक कारणों और आपातकालीन स्थितियों के लिए ही दिया जायेगा। यदि अन्यथा पाया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी को भविष्य में किसी भी एडवांस के लिए मंज़ूरी नही दी जाएगी।

5- एडवांस केवल संबंधित विभाग प्रमुख की मंजूरी पर ही दिया जाएगा।

6- यदि कोई विभाग प्रमुख एडवांस के लिए अनुरोध कर रहा है, तो उसे अकाउंट्स प्रमुख और एच-आर प्रमुख की संयुक्त स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

7- एच-आर प्रमुख या अकाउंट्स प्रमुख के एडवांस अनुरोध की स्थिति में, उन्हे मैनेजमेंट की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

8- सम्पूर्ण एडवांस राशि प्रथम आगामी वेतन से काट ली जायेगी।

9- एच-आर मैनेजर और अकाउंट्स प्रमुख यह देखने के लिए जिम्मेदार होंगे कि एडवांस राशि प्रथम आगामी वेतन से काट ली गई है।

10- ऐसा कोई भी एडवांस जो दिए गये दिशानिर्देशों के परे है उसको स्वीकृत करने का अधिकार केवल मैनेजमेंट के पास ही होगा।

Ok Approved

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित

Approved ★ HR and Management ★

Ok Approved

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत